### REQUIRED

## Members for Consumer Grievance Redressal Forums of UPCL

UPCL is on look out for eminent persons for appointment in the Consumer Grievance Redressal Forums constituted under section 42(5) of the Electricity Act, 2003 as follows:

- (i) Judicial Member in Consumer Grievance Redressal Forum at Uttarkashi, Dehradun, Almora, Srinagar (Garhwal) and Karanprayag.
- (ii) Technical Member in Consumer Grievance Redressal Forums at Karanprayag.

#### **Eligibility Criteria and Other Conditions**

- (1) Judicial member of the Forum shall be a retired district judge/additional district judge or a retired judicial officer having experience in legal/judicial profession or a person possessing degree in law from a recognized university and having atleast twenty (20) years of experience in handling legal matters.
- (2) Technical Member shall be a retired officer of any Distribution Licensee company, not below the rank of Superintending Engineer possessing degree in Electrical/ Mechanical / Electronics / Computer Engineering and having at least 15 years overall experience of working in distribution utilility or a person possessing degree in Electrical/ Mechanical / Electronics / Computer Engineering and having at least 20 years overall experience in power sector.

Provided that serving officer of the Distribution Licensee not below the rank of Superintending Engineer, working in the area falling within the jurisdiction of the Forum, where such member is required shall be given charge till such time full time Technical Member is selected.

- (3) Any person, who has earlier served the position as a full time member and completed his tenure in a Forum, shall be eligible to apply in the same Forum, only after a gap of two years from the date of completion of his tenure, however, he shall be eligible to apply in other Fourms established under the Distribution Licensee.
- (4) Members of the Forum shall hold office for a term of three years which may be extendable upto two years. The upper age limit for the appointment of the member shall be 65 years and can hold the office only upto the age of 68 years.
- (5) The full time Member would be entitled to a consolidated salary of Rs. 65,000/- per month with 5% annual increment.
- (6) The Member would be entitled to TA & DA, telephone at residence in accordance with rules applicable to Chief Engineer (Level-II) of UPCL.

2

(7) Powers and Functions and other terms & conditions of the Member shall be governed by UERC (Guidelines for appointment of members and procedure to be followed by the forum for redressal of grievances of the consumers) Regulations, 2019 and its amendments as may be issued from time to time, which may be seen /downloaded from Commission's website www.uerc.gov.in

There is no prescribed format for application and candidates are free to devise their own format covering and justifying their suitability as per requirement given herein. Interested persons may send their application giving full details of their qualifications, experience, E-mail address / Contact no. etc. for the above positions to the Managing Director, Uttarakhand Power Corporation Limited, VCV Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road, Dehradun. Persons must mention on top of the envelope "Application for the post of ......".The last date for receipt of the application is 25-07-2025.

**Managing Director** 

St C

## आवश्यकता है

# यूपीसीएल के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के लिये सदस्यों की

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) के अन्तर्गत यूपीसीएल द्वारा गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में नियुक्ति के लिये योग्य व्यक्तियों से आवेदन निम्नानुसार आंमत्रित किये जाते हैः

- (i) उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच– उत्तरकाशी, देहरादून, अल्मोडा, श्रीनगर (गढवाल) तथा कर्णप्रयाग हेतु न्यायिक सदस्य।
- (ii) उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच– कर्णप्रयाग हेतु तकनीकी सदस्य।

# पात्रता एवं अन्य शर्तें

- फोरम के न्यायिक सदस्य ऐसे सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश / अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री रखने वाले व्यक्ति, जिसे कानूनी मामलों में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो।
- 2. तकनीकी सदस्य किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी का सेवा निवृत्त अधिकारी होगा, जो अधीक्षण अभियन्ता से नीचे के पद का न हो व इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी हो तथा जिसके पास डिस्ट्रीब्यूसन यूटीलीटी में काम करने का कम से कम 15 वर्ष का समग्र अनुभव हो, अथवा इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी हो और ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का कम से कम 15 वर्ष का लिग्रीधारी हो और ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का कम से कम 20 वर्ष का समग्र अनुभव हो।

परन्तुक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधीन कार्यरत ऐसा अधिकारी जो अधीक्षण अभियन्ता के पद से नीचे का न हो तथा उस क्षेत्र में कार्यरत हो, जो उस फोरम के अन्तर्गत आता है, जिसके लिये सदस्य की आवश्यकता है, को पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य की नियुक्ति तक कार्य प्रभार दिया जा सकता है।

- 3. कोई व्यक्ति, जिसने पूर्व में पूर्णकालिक सदस्य के रुप में मंच में कार्य किया हो तथा अपना कार्यकाल पूर्ण किया हो, तो वह उसी मंच में सदस्य के लिये अपना कार्यकाल पूरा होने की तिथि से दो वर्ष के अन्तराल के उपरान्त ही आवेदन के लिये अर्ह होगा। हालांकि वह वितरण लाइसेन्सी के अन्तर्गत स्थापित अन्य मंचों में आवेदन के लिये अर्ह होगा।
- 4. सदस्य की नियुक्ति 3 वर्ष के लिये की जाती है जिसे 2 वर्षों तक बढाया जा सकता है। नियुक्ति के समय सदस्य की आयु अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिये तथा सदस्य अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक सदस्य पद पर बना रह सकता है।

- 5. पूर्णकालिक सदस्यों को रु० 65,000 प्रति माह समेकित वेतन के रुप में देय है। इस वेतन में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि अनुमन्य है।
- सदस्य को यूपीसीएल के मुख्य अभियन्ता (स्तर –II) के समान टी.ए., डी.ए. तथा आवास पर दूरभाष की सुविधा अनुमन्य होगी।
- 7. सदस्य के कार्य, शक्तियां तथा अन्य नियम व शर्तें उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग – दर्शिका) विनियम, 2019 तथा इसके समय–समय पर निर्गत संशोधन से नियंत्रित (govern) होगी। ये विनियम आयोग की वेबसाइट <u>www.uerc.gov.in</u> पर उपलब्ध है।

S1/

प्रबन्ध निदेशक